CPCB

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली–110032

LiFE
Lifestyle For Environment

फा.सं.सी14011012/नराकास/202021/840 **दिनांक:05/02/2024**

परिपत्र

विषय: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उत्तरी दिल्ली) की दिनांक 16.11.2023 को सम्पन्न बैठक पर अनुवर्ती कार्रवाई।

हिन्दी संघ की राजभाषा नीति का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) का गठन किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उत्तरी दिल्ली) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उक्त समिति की बैठक दिनांक 16.11.2023 को आयोजित की गई तथा इस बैठक में इस बोर्ड की ओर से भी प्रतिनिधित्व किया गया। उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैः-

1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दिल्ली स्थित कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है। राजभाषा विभाग द्वारा 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालय को 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र को भेजे जाने वाले हिंदी में भेजे जाने मूल पत्राचार का लक्ष्य क्रमश: 100%, 100% तथा 65% निर्धारित किया गया है। अत: 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालय को 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों, व्यक्तियों आदि को मूल पत्राचार हिंदी में किया जाना चाहिए।
2. इस कार्यालय में ई-ऑफिस प्रचलन में है। चूंकि ई-ऑफिस पर लिखी जाने वाली कुल टिप्पणियों में से 75% टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी जानी अपेक्षित हैं, अतः निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रम में 75% टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी जाएँ।
3. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी 14 दस्तावेजों को अनिवार्य रुप से द्विभाषी अर्थात् हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी किए जाएं। नियमानुसार, उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व है कि उक्त धारा के अंतर्गत निर्दिष्ट दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार, निष्पादित और जारी किए जाएँ।
4. राजभाषा नियम 1976 का नियम 5 के अनुसार, ऐसे पत्रों के प्राप्त होने पर जो कि हिंदी में लिखे गए हैं अथवा हिंदी में हस्ताक्षरित हैं, उनका उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। अत: उक्त नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
5. कार्यालय में हिंदी के कामकाज को सहज बनाने की दृष्टि से वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली सभी प्रभागों को पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही हाल ही में शब्दावली संग्रह प्रकाशित किया गया है तथा इसे कार्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। अतः इसका उपयोग करके हिंदी के कामकाज को बढ़ाया जाए।

क्रमशः........

6. इसी क्रम में यह पुनश्च उल्लेखनीय है कि माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बोर्ड का कामकाज में हिंदी में किए जाने पर जोर दिया गया है।

अत: उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक तिमाही के अंत के पश्चात प्रथम सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट राजभाषा प्रभाग को प्रेषित करें ताकि राजभाषा विभाग एवं मंत्रालय को समय पर रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।

05/02

(संघ मित्र)
प्रशासनिक अधिकारी एवं
प्रभारी, राजभाषा प्रभाग

वितरण:

1	सभी प्रभाग प्रमुख, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय	- कृपया इस परिपत्र की विषयवस्तु अपने प्रभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में लाएँ तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।
2	अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड के निजी सचिव	- अध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ।
3	सदस्य सचिव के निजी सचिव	- सदस्य सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।
4	प्रभारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग	- बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

प्रशासनिक अधिकारी